



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 36

22 आश्विन 1942 (श०)
पटना, बुधवार, ———
14 अक्टूबर 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि।	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

2-14

15-15

16-16

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

1 जून 2020

सं० 73 नि०:—बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या— 7/स्था०-04-18/2019 सा०प्र० 2133 दिनांक 10.02.2020 एवं 7/स्था०-04-18/2019 सा०प्र० 3340 दिनांक 03.03.2020 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्तियों को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	2.	3.
1.	श्री स्वयम् श्रीवास्तव	पटना सदर
2.	श्री राहुल दत्ता	भागलपुर
3.	महविश फातमा	पटना सदर
4.	श्री अनुभव रंजन	नवादा
5.	श्री हर्षवर्द्धन सिंह	पटना सदर
6.	शालिनी शुक्ला	सीवान
7.	हिमशिखा मिश्रा	सासाराम
8.	श्री देवव्रत कुमार	लखीसराय
9.	शिखा शर्मा	गया
10.	श्री आसिफ नवाज	अररिया
11.	उजमा कमर	हाजीपुर
12.	मो० अरबाज अंसारी	पूर्णियाँ
13.	आस्था भारती	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
14.	गीतिका त्रिपाठी	सारण, छपरा
15.	अंकिता त्रिपाठी	कैमूर, भभुआ
16.	अनिता कुमारी	भोजपुर, आरा
17.	शिवांगी प्रिया	पटना सदर
18.	श्री भवेश कुमार	खगड़िया
19.	अर्चना कुमारी	पटना सदर
20.	तेजस्विनी जायसवाल	मुजफ्फरपुर (पूर्वी)
21.	श्री प्रणव कुमार	जमुई
22.	श्री वैभव कुमार	जहानाबाद
23.	श्री भानू प्रताप	पूर्णियाँ
24.	योगिता श्री	कटिहार
25.	सौम्या शेखर	पटना सिटी
26.	श्री चंदन ठाकुर	दरभंगा

27.	स्निग्धा	मुजफ्फरपुर
28.	श्री संतोष कुमार	सहरसा
29.	श्री कृष्णा कुमार	सीवान
30.	उमा कुमारी	खगड़िया
31.	नीलम कुमारी	गया
32.	श्री अंकित आनंद	मधेपुरा
33.	श्री नीसित देव	सुपौल
34.	श्री रोहित अमृतांशु	नवादा
35.	श्री मुकेश कुमार	गोपालगंज
36.	श्री मिथिलेश कुमार	सुपौल
37.	प्रिया कुमारी	दानापुर
38.	श्री शाद रज्जाक	औरंगाबाद
39.	श्री पंकज कुमार पंडित	पश्चिम चम्पारण, बेतिया
40.	श्री प्रतीक शैल	पटना सिटी
41.	श्री अविचल ज्ञानेश	अररिया
42.	श्री कुन्दन पासवान	बांका
43.	सुमित रंजन	सारण, छपरा
44.	मंजिता कुमारी	पटना सिटी

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2020

No. 73 A:--The persons named in column no. 2 of the table given below who have been appointed on probation as Civil Judge (Junior Division) under notification no. 7/Stha-04-18/2019 Sa. Pra. 2133 dated 10.02.2020 and notification no. 7/Stha-04-18/2019 Sa. Pra. 3340 dated 03.03.2020 of the Department of General Administration, Government of Bihar, Patna are posted as temporary Civil Judges (Junior Division) at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names.

Sl. No.	Name of the Officers	Place of posting
1.	2.	3.
1.	Sri Swayam Shrivastava	Patna Sada
2.	Sri Rahul Dutta	Bhagalpur
3.	Ms. Mahvish Fatma	Patna Sadar
4.	Sri Anubhav Ranjan	Nawada
5.	Sri Harsh Vardhan Singh	Patna Sadar
6.	Ms. Shalini Shukla	Siwan
7.	Ms. Himshikha Mishra	Sasaram
8.	Sri Deobrat Kumar	Lakhisarai
9.	Ms. Shikha Sharma	Gaya
10.	Sri Asif Nawaz	Araria

11.	Ms. Uzma Quamar	Hajipur
12.	Md. Arbaz Ansari	Purnea
13.	Ms. Astha Bharti	East Champaran at Motihari
14.	Ms. Gitika Tripathi	Saran at Chapra
15.	Ms. Ankita Tripathi	Kaimur at Bhabhua
16.	Ms. Anita Kumari	Bhojpur at Ara
17.	Ms. Shivangi Priya	Patna Sadar
18.	Sri Bhavesh Kumar	Khagaria
19.	Ms. Archana Kumari	Patna Sadar
20.	Ms. Tejaswini Jaiswal	Muzaffarpur (E)
21.	Sri Pranav Kumar	Jamui
22.	Sri Vaibhav Kumar	Jehanabad
23.	Sri Bhanu Pratap	Purnea
24.	Ms. Yogita Shree	Kaihar
25.	Ms. Somya Shekhar	Patna City
26.	Sri Chandan Thakur	Darbhanga
27.	Ms. Snigdha	Muzaffarpur
28.	Sri Santosh Kumar	Saharsa
29.	Sri Krishna Kumar	Siwan
30.	Ms. Uma Kumari	Khagaria
31.	Ms. Neelam Kumari	Gaya
32.	Sri Ankit Anand	Madhepura
33.	Sri Nishit Deo	Supaul
34.	Sri Rohit Amritanshu	Nawada
35.	Sri Mukesh Kumar	Gopalganj
36.	Sri Mithilesh Kumar	Supaul
37.	Ms. Priya Kumari	Danapur
38.	Sri Shad Razzaque	Aurangabad
39.	Sri Pankaj Kumar Pandit	West Champaran at Bettiah
40.	Sri Partik Shail	Patna City
41.	Sri Avichal Gyanesh	Araria
42.	Sri Kundan Paswan	Banka
43.	Ms. Sumita Ranjan	Saran at Chapra
44.	Ms. Manjeeta Kumari	Patna City

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

6 जून 2020

सं० 77 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री उपेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालन्दा (बिहारशरीफ), की सेवायें विधि पदाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 6th June 2020

No. 77 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Upendra Kumar, Additional District and Sessions Judge, Nalanda at Biharsharif is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Law Officer, State Information Commission, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

13 जुलाई 2020

सं० 83 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री फूल चन्द्र चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा की सेवायें सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 13th July 2020

No. 83 A :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Phool Chandra Choudhary, District & Sessions Judge, Bhojpur at Ara is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Secretary-cum-Legal Remembrancer in the Law Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

15 जुलाई 2020

सं० 84 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1	2	3
1.	श्री कुमार अमित मनु, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ (पूर्णियाँ)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) पूर्णियाँ स) पूर्णियाँ
2.	श्री राहुल कुमार,, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) मोतिहारी स) पूर्वी चम्पारण

3.	श्री राजेश कुमार द्विवेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना (पटना)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) पटना स) पटना
4.	श्री प्रशांत कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुंगेर (मुंगेर)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) मुंगेर स) मुंगेर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 15th July 2020

No. 84 A :--The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship.	(a) Designation at the new station (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1.	2.	3.
1.	Sri Kumar Amit Manu, A.D.J. Presiding Officer, Labour Court, Purnea (Purnea)	(a) Addl. District and Sessions Judge (b) Purnea (c) Purnea
2.	Sri Rahul Kumar, A.D.J. Presiding Officer, Labour Court, Motihari (East Champaran)	(a) Addl. District and Sessions Judge (b) Motihari (c) East Champaran
3.	Sri Rajesh Kumar Dwivedi, A.D.J. Presiding Officer, Labour Court, Patna (Patna)	(a) Addl. District and Sessions Judge (b) Patna (c) Patna
4.	Sri Prashant Kumar, A.D.J. Presiding Officer, Labour Court, Munger (Munger)	(a) Addl. District and Sessions Judge (b) Munger (c) Munger

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

17 अगस्त 2020

सं० 85 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजों के साथ	जिला का नाम
1	2	3
1.	श्री रंजन देव, मुंसिफ, बाढ़	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 17th August 2020

No. 85 A :--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

SI. No.	Name of Officer with designation and present place of posting	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Ranjan Deo, Munsif, Barh	Patna

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

18 अगस्त 2020

सं० 86 नि० :--अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री राज कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा की सेवायें सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 18th August 2020

No. 86 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Raj Kumar Singh, District & Sessions Judge, Darbhanga are placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna, on deputation basis.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

22 अगस्त 2020

सं० 87 नि० :--श्री संजय कुमार-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल को गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 22nd August 2020

No. 87 A :--Sri Sanjay Kumar- IV, Additional District and Sessions Judge, Supaul is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Gaya.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

22 अगस्त 2020

सं० 88 नि० :--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्रीमति तनवीर कौर प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी—सह— अपर मुंसिफ, पटना	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) लक्खीसराय स) लक्खीसराय	लक्खीसराय
2.	श्रीमति तान्या पटेल प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दरभंगा स) दरभंगा	दरभंगा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 22nd August 2020

No. 88 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Smt. Tanveer Kaur J. M.I-cum-A.M., Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Lakhisarai (c) Lakhisarai	Lakhisarai
2.	Ms. Tanya Patel J.M. 1 st Class, Danapur	(a) Judicial Magistrate (b) Darbhanga (c) Darbhanga	Darbhanga

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

22 अगस्त 2020

सं० 89 नि०—बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या— 7/स्था०-04-18/2019 सा०प्र० 5866 दिनांक 18.06.2020 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्ति को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	तन्वी तेजस्विता	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 22nd August 2020

No. 89 A:--The person named in column no. 2 of the table given below who has been appointed on probation as Civil Judge (Junior Division) under notification no. 7/Stha-04-18/2019 Sa. Pra. 5866 dated 18.06.2020 of the Department of General Administration, Government of Bihar, Patna is posted as temporary Civil Judge (Junior Division) at the station mentioned in column no. 3 of the table against her name.

Sl. No.	Name of the Officer	Place of posting
1.	2.	3.
1.	Ms. Tanvi Tejaswita	Patna

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

27 अगस्त 2020

सं० 90 नि०:—श्री राजीव रंजन सहाय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 27th August 2020

No. 90 A:--Sri Rajiv Ranjan Sahay, Additional District and Sessions Judge, Samastipur is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Rosera.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

27 अगस्त 2020

सं० 91 नि०:—न्यायालय की अधिसूचना संख्या 87ए दिनांक 22.08.2020 जो ज्ञाप संख्या 32806–32824 दिनांक 22.08.2020 के तहत निर्गत है जो श्री संजय कुमार–IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल को गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन से संबंध है एतद् द्वारा वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 27th August 2020

No. 91 A:--Court's notification no. 87A dated 22.08.2020, issued vide memo no. 32806-32824 dated 22.08.2020, regarding transfer and posting of Sri Sanjay Kumar-IV, Additional District and Sessions Judge, Supaul as Additional District and Sessions Judge of Gaya, is hereby recalled. He shall continue to work as Additional District and Sessions Judge, Supaul.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

29 अगस्त 2020

सं० 93 नि०—उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ—II में उल्लिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तंभ— III में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग के ज्ञाप सं०— 1806/जे. दिनांक 13.04.1992 तथा 1604/जे. दिनांक 21.04.1999 में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपुर्द करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

इन्हें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

इन्हें विधि विभाग के उपरोक्त ज्ञाप सं० में उल्लिखित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुकदमों के निष्पादन हेतु स्थापित विशेष न्यायालयों, जिसका क्षेत्राधिकार स्तंभ— III में उल्लिखित है, और जिसका मुख्यालय स्तंभ— IV, में उल्लिखित है, के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	क्षेत्राधिकार	मुख्यालय
I	II	III	IV
1.	श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना	पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई एवं खगड़िया	पटना
2.	श्री राजीव रंजन सिंह, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं बेगुसराय।	मुजफ्फरपुर
3.	श्री दिव्य प्रकाश, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया	पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा	पूर्णिया

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 29th August 2020

No. 93 A :--The High Court have been pleased to confer upon the officers named in column no. II of the table given below, the powers for trial or to commit for trial of cases with respect to offences under the acts as mentioned in law Department memo Nos. 1806/J. Dated 13.04.1992 and 1604/J. Dated 21.04.1999 for the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column No. III of the given table.

The Court are further pleased to confer upon the officers named in column no. II, powers to take cognizance of such cases, as they have been authorized to try.

These officers are also appointed to act as Presiding Officer of Special Court established with headquarters as mentioned in column no. IV of the table, having Jurisdiction as mentioned in column no. III, for trial of cases relating to Economic Offences under the Acts mentioned in the Law Department's aforesaid memos.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and place of posting	Territorial Jurisdiction	Headquarter of the Court
I	II	III	IV
1.	Sri Ratneshwar Kumar Singh, Sub Judge-cum- A.C.J.M., Patna	Patna, Nalanda, Rohtas, Bhabhua, Bhojpur, Buxar, Gaya, Jehanabad, Aurangabad, Nawadah, Bhagalpur, Banka, Munger, Jamui and Khagaria	Patna

2.	Sri Rajeev Ranjan Singh, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)	Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali, East Champaran, West Champaran, Saran, Siwan, Gopalganj, Darbhanga, Samastipur, Madhubani and Begusarai	Muzaffarpur
3.	Sri Dibya Prakash, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Purnea	Purnea, Araria, Kishanganj, Katihar, Saharsa, Supaul and Madhepura	Purnea

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

24 सितम्बर 2020

सं० 1स्था०-41/2020-1411/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-336, दिनांक 25.02.2020 द्वारा नियुक्त प्रतिवेदकगण की आपसी वरीयता उनके मेधासूची के क्रमानुसार निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है :-

क्र०सं०	नाम	जन्म तिथि
1.	श्री पुलकित	19.04.1994
2.	श्री हेमन्त शर्मा	08.08.1996
3.	श्रीमती संगीता कुमारी	17.07.1982
4.	श्री राहुल कुमार यादव	13.04.1997
5.	श्री यानपति	15.09.1991
6.	श्री मुकुल कुमार	22.11.1994
7.	श्री सुरज कुमार	10.05.1995
8.	श्री धिरेन्द्र गौरव	05.12.1992
9.	श्री अभिनीत कुमार	05.10.1985
10.	सुश्री अंजली कुमारी	06.01.1995

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

24 सितम्बर 2020

सं० 1स्था०-41/2020-1413/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-336, दिनांक 25.02.2020 द्वारा नियुक्त प्रतिवेदक बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 (अनुसूची क्रमांक-39) के अधीन आशुलिपि परीक्षा के निर्धारित मापदंड को पूरा करने के साथ ही उसमें से निम्न विवरणी के क्रमांक 1 एवं 3 पर अंकित प्रतिवेदकों द्वारा टंकण जांच परीक्षा के निर्धारित मापदंड को ससमय पूरा करने के फलस्वरूप निम्नांकित प्रतिवेदकों को नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों से विमुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री पुलकित	श्री वीर सिंह	19.04.1994
2.	श्री हेमन्त शर्मा	स्व. सूरज पाल शर्मा	08.08.1996
3.	श्रीमती संगीता कुमारी	श्री महेन्द्र पंडित	17.07.1982

4.	श्री राहुल कुमार यादव	श्री अमीपाल यादव	13.04.1997
5.	श्री यानपति	श्री सुजीत कुमार	15.09.1991
6.	श्री मुकुल कुमार	श्री लक्ष्मी प्रसाद केशरी	22.11.1994
7.	श्री सुरज कुमार	श्री गौरी प्रसाद	10.05.1995
8.	श्री धिरेन्द्र गौरव	श्री विजय कुमार	05.12.1992
9.	श्री अभिनीत कुमार	श्री अरुण कुमार	05.10.1985
10.	सुश्री अंजली कुमारी	श्री अमोद प्रसाद	06.01.1995

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

11 सितम्बर 2020

सं० नि०को०-1/20-1313/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 (अनुसूची क्रमांक-39) के अधीन सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-336, दिनांक 25.02.2020 द्वारा नियुक्त प्रतिवेदकों में से निम्न प्रतिवेदकों के लिए दिनांक-08.09.2020 को आयोजित आशुलिपि (हिन्दी) परीक्षा का परीक्षाफल निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	नाम	आशुलिपि (हिन्दी) परीक्षा का परिणाम
1.	श्री पुलकित	उत्तीर्ण
2.	श्री हेमंत शर्मा	उत्तीर्ण
3.	श्री राहुल कुमार यादव	उत्तीर्ण
4.	श्री सुरज कुमार	उत्तीर्ण
5.	श्री धिरेन्द्र गौरव	उत्तीर्ण

आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

11 सितम्बर 2020

सं० नि०को०-1/20-1315/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-336, दिनांक 25.02.2020 द्वारा नियुक्त प्रतिवेदकों में से निम्न प्रतिवेदकों के लिए दिनांक-08.09.2020 को आयोजित अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा का परीक्षाफल निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	नाम	अंग्रेजी टंकण जाँच का परिणाम
1.	श्री पुलकित	उत्तीर्ण

आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर 2020

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था(राज०)-09/2018-3813-विभागीय आदेश संख्या-469 सहपठित ज्ञापांक-6573 दिनांक-13.09.2019 द्वारा निम्नांकित स्तम्भ-02 में अंकित संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियन्ता(असैनिक) को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(2)(ख)(V) के आलोक में अगले एक

वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक(जो भी पहले हो) संविदा अवधि विस्तार करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-04 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्यपालक अभियन्ता (संविदा) का नाम/जल संसाधन विभाग का आई०डी०/गृह जिला/ जन्मतिथि	संविदा के आधार पर पूर्व नियोजन/पदस्थापन का पद	संविदा नियोजन अवधि विस्तार के पश्चात् नये पदस्थापन का पद
1	2	3	4
1.	श्री संत कुमार सिंह/ आई०डी०-3358/रोहतास/ जन्म तिथि-31.12.1956	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हाजीपुर	कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता(मु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का कार्यालय

2. संविदा के आधार पर यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध अधिकतम एक वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक अथवा नियोजित कर्मी की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक (जो पहले हों) के लिए है ।

3. यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है, तो यह नियोजन स्वतः समाप्त समझी जायेगी, इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

4. उक्त नियोजन बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संविदा पर नियोजन के दौरान यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का गंभीर आरोप अथवा गैर अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।

5. संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन नवपदस्थापित स्थल से संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, के साथ एकरारनामा किये जाने के पश्चात् कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद का प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के कार्यों की समीक्षा सावधिक अन्तराल पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-(3)(3)(6)(i) तथा (3)(3)(7)(iii) में निहित प्रावधान/शर्तों के अधीन उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

8. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/समक्ष प्राधिकार से कराये जाने के बाद प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित नियोजित कार्यपालक अभियंता (असैनिक), की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये मानदेय की वसूली नियमानुसार की जायेगी । साथ ही अन्य सुसंगत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।

9. सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी ।

10. योगदान/पदभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

11. संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान पदस्थापित कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगी ।

12. एक सप्ताह के अन्दर संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक अभियंता (असैनिक), संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के कार्यालय में योगदान करेंगे । निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं करने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा नियोजन का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।

13. संबंधित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वे मुख्य अभियंता(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन, पटना, के साथ विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में एकरारनामा की प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूर्ण करेंगे । उक्त कार्रवाई के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होकर इसकी एक-एक स्व-अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे -

(i) जाति प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षण लागू हो तो),

(ii) असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र,

(iii) तकनीकी योग्यता यथा- अभियंत्रण में डिग्री/डिप्लोमा से संबंधित प्रमाण-पत्र,

(iv) सेवांत लाभो की स्वीकृति से संबंधित स्वीकृत्यादेश एवं पेंशन प्राधिकार-पत्र,

(v) जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र ।

14. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गीता सिंह, उप-सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर 2020

सं० 15/ए३-12-2020/1619—स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक-606 (आ०चि०) दिनांक 03.07.2020 के आलोक में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 4(2) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगुसराय को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाता है।

2. यह अधिसूचना शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रभावी होगा।

आदेश से,
संजय कुमार, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 24-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पटना उच्च न्यायालय

शुद्धि-पत्र

11 जून 2020

सं० 26433—न्यायालय के अधिसूचना संख्या 09 नि० दिनांक 21.01.2020 जो ज्ञापांक संख्या 4146-4200 दिनांक 21.01.2020 से निर्गत किया गया था, जिसका संबंध प्रशिक्षु असेनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के नियुक्ति एवं पदस्थापना से संबंधित है, को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है—

1. तालिका के स्तम्भ संख्या 02 के क्रम सं० 38 पर पदाधिकारी का नाम को श्री विकास कुमार के स्थान पर श्री विकास कुमार पढ़ा जाए।
2. तालिका के स्तम्भ संख्या 02 के क्रम सं० 45 पर पदाधिकारी का नाम को श्री प्रियांशु राज के स्थान पर श्री प्रियांशु राज पढ़ा जाए।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 11th June 2020

No. 26433--Court's Notification No. 09A dated 21.01.2020 issued vide Memo No. 4146-4200 dated 21.01.2020, so far as it relates to appointment and posting of Probationary Civil Judges (Junior Division) stands corrected in the manner indicated below:-

1. Name of the officer recorded at serial no. 38 in column no. 2 of the table shall be read as **Sri Vikas Kumar** in place of **Sri Vikash Kumar**.
2. Name of the officer recorded at serial no. 45 in column no. 2 of the table shall be read as **Sri Priyanshu Raj** in place of **Sri Priyahnshu Raj**.

By order of the High Court,
N.K. Pandey, Registrar General.

14 जुलाई 2020

सं० 30246—उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 83 नि० में अंकित दिनांक 13.06.2020 टंकक त्रुटि है और उसे 13.07.2020 पढ़ा जाए।

इसे इस हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 14th July 2020

No. 30246--In Court's Notification No. 83 A, the date 13th June, 2020 is a typographical error and the same be read as 13th July, 2020.

The same is modified to the extent as above.

By order of the High Court,
N.K. Pandey, Registrar General.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 24-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1170— I, Satyam Anshumali, S/o Late Vinod Kumar R/o Nageshwar Niwas, Behind St. Augustin School, Goriya Asthan, Budh Murti, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna Bihar-800003 declare vide Affidavit No. 7487 Dated 02.09.2020 that my name has been changed from Satyam Anshumali to Satyam Parashar. Now I shall be known as Satyam Parashar for all future purposes.

Satyam Anshumali.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 24-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>